विहार विधान-सभा वादवृत

(भाग—१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि १७ फरवरी, १९७५ ।

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : विहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ II के परन्तुक के अन्तर्गत अनागत प्रश्नों के उत्तरों का सभा मेज पर रखा जाना ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ३, ४ एवं ६ ... १—११

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : १४२, १४८, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४९—१५१, १६०, १९९, २०२ एवं २०४—२०७ । १२—३४

परिशिष्ट-१ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : ... ३५—३४४

दैनिक निबंध : ३४५-३४६

टिप्पणी : —जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित किया है उनके नाम के आगे (@) चिन्ह लगा दिया गया है ।

अनुसार बोनस विवाद को देखने के अधिकारी हैं, को भी मजदूरों ने इस मामले को सुलझाने हेतु अनुरोध किया था ;

(४) क्या यह बात सही है कि २१ दिसम्बर १९७४ तक बोनस का भुगतान नहीं होने पर मजदूरों ने हड़ताल करने की नोटिश दे दी है ;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अविलम्ब मजदूरों को बोनस की राशि का भुगतान कराकर हड़ताल रोकने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग—(१) इस प्रतिष्ठान के ६० मजदूरों को लेखा वर्ष १९७२-७३ के लिये बोनस के मद में ५० रुपये प्रति मजदूर की दर से अग्रिम का भुगतान किया गया है। मजदूरों को उक्त लेखा वर्ग के लिये बोनस का अंतिम रूप से भुगतान अभी बाकी है। जहांतक लेखा वर्ष १९७३-७४ के बोनस का प्रश्न है, वह मजदूरों को फरवरी, १९७५ में देय होगा। अतः उसे अभी बकाया नहीं कहा जा सकता है ;

(२) लेखा वर्ष १९७२-१९७३ के लिये मजदूरों की देय बोनस की शेष रकम का अंतिम रूप से भुगतान करने हेतु नियोजक द्वारा वादा किया गया है।

(३) दिनांक २३ सितम्बर १९७४ को मजदूरों ने यह अनुरोध किया था कि उन्हें बोनस की देय राशि का अंतिम रूप से भुगतान कराया जाय, जिस पर बोनस का अंतिम रूप से भुगतान शीघ्र करने का आदेश नियोजक को दिया गया है।

(४) इस तरह की कोई भी सूचना अभीतक मजदूरों से प्राप्त नहीं हुई है।

(५) यदि नियोजक द्वारा लेखा वर्ष १९७२-७३ के लिये मजदूरों को देय बोनस की राशि का अंतिम रूप से भुगतान करने में अधिक टालमटोल किया गया तो बोनस भुगतान अधिनियम, १९६५ के अन्तर्गत उन पर कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायगी।

खाद एवं बीज का वितरण

२१-१३८। श्रीमती राजपति देवी—क्या मंत्री राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबन

एवं महेशी प्रखंड वर्षा तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हैं, यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रखंड को आजतक कितने खाद, बीज खेती करने के लिये दिया है।

प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग—उत्तर स्वीकारात्मक है।

किसानों को निम्नलिखित बीज, खाद ऋण के निमित्त राशि का आवंटन किया गया है।

	महेशी	मधुवन
बीज गेहूं	४०० क्वींटल	४०० क्वींटल
बीज मकई	३९० क्वींटन	०.६५ क्वींटल
खाद नेत्रजन	४४ टन	४४ टन
फासफोग्स	१४ टन	१० टन
पोटास	१० टन	१० टन
खाद ऋण का आवंटन	१,५०,०००	१,००,०००
बीज ऋण का आवंटन	३०,०००	२५,०००

श्री डी० सेन को पेंशन नहीं देने का औचित्य

भ-६६। श्री राजमंगल मिश्र—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि हाई इंगलिश इडेन स्कूल, हथुआ, जिला गोपालगंज में श्री डी० सेन एक सहायक शिक्षक थे जो १९७१ में उक्त विद्यालय से अवकाश प्राप्त कर हथुआ में रहते हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री सेन ने अपने पेंशन के लिये दिनांक १० अक्तूबर १९७३ को एक आवेदन-पत्र शिक्षा विभाग में दिया था;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आजतक श्री सेन को पेंशन नहीं दिये जाने का क्या कारण है;

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग—(१) क्या यह बात सही है कि श्री डी० सेन, इडेन इंगलिस हाई स्कूल, हथुआ के सहायक शिक्षक थे जो ९ फरवरी १९७१ को ६२ वर्ष ९ दिन की उम्र में अवकाश ग्रहण किये। पेंशन आवेदन-पत्र के आधार